महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम में विधिक जागरूकता की भूमिका: एक समीक्षात्मक अध्ययन

***नीलम व्यास**
****डॉ. विमला कुमारी वर्मा**

सारांश

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समकालीन समाज की एक गंभीर सामाजिक, कानूनी तथा मानवाधिकार संबंधी समस्या है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, साइबर हिंसा तथा अन्य प्रकार के लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधानों, विशेष कानूनों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का विकास किया गया है, तथापि हिंसा की घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं देखी जा रही है। इस स्थिति का एक प्रमुख कारण महिलाओं में विधिक अधिकारों तथा उपलब्ध संरक्षण तंत्र के प्रति सीमित जागरूकता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम में विधिक जागरूकता की भूमिका का समीक्षात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन विभिन्न शोध लेखों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाशित साहित्य पर आधारित है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विधिक जागरूकता महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है, न्यायिक संस्थाओं तक पहुँच को बढ़ाती है तथा हिंसा की रिपोर्टिंग की संभावना को सुदृढ़ करती है। साथ ही यह महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधिक जागरूकता को नीति-निर्माण, शिक्षा एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाना आवश्यक है।

कुंजी शब्द: महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, विधिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, न्याय तक पहुँच, लैंगिक समानता।

प्रस्तावना

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आज भी विश्व स्तर पर एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनी हुई है। यह केवल महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास, मानवाधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी एक बड़ी बाधा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2023) के अनुसार विश्व की लगभग प्रत्येक तीन महिलाओं में से एक महिला अपने जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव करती है। भारत में भी घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न तथा साइबर अपराध जैसी घटनाएँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2024)।

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 तथा अन्य विधिक प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी अनेक महिलाएँ इन अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पातीं क्योंकि उन्हें उपलब्ध कानूनी संरक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र की पर्याप्त जानकारी नहीं होती (मेहता, 2020)। इस संदर्भ में विधिक जागरूकता महिलाओं के सशक्तिकरण एवं हिंसा की रोकथाम का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरती है।

विधिक जागरूकता का आशय केवल कानूनों की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अधिकारों, न्यायिक प्रक्रियाओं तथा उपलब्ध सहायता तंत्रों की समझ भी शामिल है। जब महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, तब वे हिंसा, भेदभाव एवं अन्याय के विरुद्ध अधिक प्रभावी ढंग से आवाज उठा सकती हैं। इसलिए वर्तमान अध्ययन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम में विधिक जागरूकता की भूमिका का विश्लेषण करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अवधारणा एवं स्वरूप का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के लिए उपलब्ध विधिक संरक्षण तंत्र का विश्लेषण करना।
3. विधिक जागरूकता एवं महिला सशक्तिकरण के मध्य संबंध का अध्ययन करना।
4. हिंसा की रिपोर्टिंग पर विधिक जागरूकता के प्रभाव का विश्लेषण करना।
5. महिलाओं की सुरक्षा हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा एवं विश्लेषण

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक बहुआयामी समस्या है, जिसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत कारक कार्य करते हैं। हाइज़ (1998) द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिक मॉडल के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक एवं सामाजिक स्तरों पर कार्य करने वाले कारकों का परिणाम है। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल कानूनों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना एवं संस्थागत समर्थन भी आवश्यक है।

कबीर (2019) ने महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विधिक जागरूकता के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। उनके अनुसार महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होने पर वे सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर अधिक प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। इसी प्रकार हाइज़ एवं कोट्साडम (2019) ने पाया कि विधिक जागरूकता महिलाओं की रिपोर्टिंग प्रवृत्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तथा हिंसा के मामलों को छिपाने की प्रवृत्ति को कम करती है।

भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध विधिक संरक्षण तंत्र अपेक्षाकृत व्यापक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करता है (वर्मा, 2022)। तथापि

अनेक अध्ययनों ने यह संकेत दिया है कि कानूनों की प्रभावशीलता काफी हद तक महिलाओं की जागरूकता पर निर्भर करती है (चौधरी, 2024)।

भालोत्रा, ब्रूले एवं रॉय (2021) ने पाया कि शिक्षा एवं विधिक जागरूकता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी को बढ़ाती है। जागरूक महिलाएँ हिंसा को स्वीकार करने की बजाय उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिक तैयार होती हैं। इसी प्रकार चटर्जी, देसाई एवं वन्नेमन (2023) ने निष्कर्ष निकाला कि संस्थागत समर्थन एवं विधिक जानकारी महिलाओं की न्याय तक पहुँच को मजबूत बनाती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (2024) तथा संयुक्त राष्ट्र महिला (2024) की रिपोर्टों में भी यह उल्लेख किया गया है कि विधिक जागरूकता महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। महिलाओं को उनके अधिकारों, शिकायत निवारण तंत्र तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं के विषय में जानकारी प्रदान करने से उनकी रिपोर्टिंग प्रवृत्ति तथा आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

चर्चा

समीक्षित साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विधिक जागरूकता महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यद्यपि भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु पर्याप्त विधिक एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं, फिर भी जागरूकता के अभाव में अनेक महिलाएँ इनका लाभ नहीं उठा पातीं। इस स्थिति में विधिक जागरूकता महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाती है तथा उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।

अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि विधिक जागरूकता महिला सशक्तिकरण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। जागरूक महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी करती हैं तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में अधिक सक्षम होती हैं। इसके अतिरिक्त विधिक जागरूकता महिलाओं एवं संस्थागत तंत्र के मध्य विश्वास को भी मजबूत करती है। जब महिलाओं को यह विश्वास होता है कि कानून एवं संस्थाएँ उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं, तब वे हिंसा की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए अधिक तैयार होती हैं।

हालाँकि विधिक जागरूकता के विस्तार के मार्ग में अनेक चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, डिजिटल विभाजन, सामाजिक रूढ़िवादिता तथा पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की जागरूकता को सीमित करती है। इसलिए केवल कानूनी प्रावधानों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रमों, सामुदायिक जागरूकता अभियानों तथा संस्थागत सहयोग की भी आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम में विधिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधिक जागरूकता महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करती है, न्यायिक प्रक्रियाओं तक पहुँच को आसान बनाती है तथा हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने का आत्मविश्वास प्रदान करती है। उपलब्ध साहित्य यह दर्शाता है कि जागरूक महिलाएँ हिंसा की रिपोर्टिंग करने, कानूनी सहायता प्राप्त करने तथा उपलब्ध संस्थागत तंत्र का उपयोग करने में अधिक सक्रिय होती हैं।

महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं समुदाय स्तर पर विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की महिलाओं तक कानूनी जानकारी पहुँचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को अधिक सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध हो सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि विधिक जागरूकता केवल कानूनों की जानकारी का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय तथा लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रभावी उपकरण है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर ही हिंसा-मुक्त एवं समानतापूर्ण समाज की स्थापना संभव है।

तालिका 1: साहित्य समीक्षा से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष

लेखक एवं वर्ष	अध्ययन का प्रमुख विषय	प्रमुख निष्कर्ष
कबीर (2019)	महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता	विधिक जागरूकता महिलाओं के आत्मविश्वास एवं अधिकारों के प्रयोग को बढ़ाती है।
हाइज़ एवं कोट्साडम (2019)	लैंगिक असमानता एवं हिंसा	जागरूकता महिलाओं की रिपोर्टिंग प्रवृत्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
जेजीभॉय, संथ्या एवं आचार्य (2019)	ग्रामीण महिलाओं पर अध्ययन	कम जागरूकता महिलाओं की न्याय तक पहुँच को सीमित करती है।
भालोत्रा, ब्रूले एवं रॉय (2021)	महिला सशक्तिकरण	शिक्षा एवं जागरूकता महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है।
देसाई एवं एंड्रिस्ट (2021)	लैंगिक मान्यताएँ	सामाजिक मान्यताएँ महिलाओं के अधिकारों के उपयोग को प्रभावित करती हैं।
संयुक्त राष्ट्र महिला (2022)	वैश्विक महिला सुरक्षा	विधिक जागरूकता लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।
चटर्जी, देसाई एवं वन्नेमन (2023)	भारत में लैंगिक हिंसा	संस्थागत समर्थन एवं जागरूकता रिपोर्टिंग व्यवहार को बढ़ाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (2023)	महिलाओं के विरुद्ध हिंसा	हिंसा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार समस्या है।
राष्ट्रीय महिला आयोग (2024)	महिला सुरक्षा कार्यक्रम	जागरूकता अभियानों से शिकायत दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
चौधरी (2024)	न्याय तक महिलाओं की पहुँच	विधिक जानकारी न्यायिक संस्थाओं तक पहुँच को सुदृढ़ करती है।

उपरोक्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि विधिक जागरूकता महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण तथा न्याय तक पहुँच का एक केंद्रीय घटक है। अतः महिलाओं की सुरक्षा संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में विधिक साक्षरता को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

***शोधार्थी**
****सहायक आचार्य**
यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी
जयपुर, राजस्थान

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, एम. (2023). *महिलाओं के विरुद्ध अपराध और न्यायिक प्रतिक्रिया.* भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
2. भालोत्रा, एस., ब्रूले, आर., एवं रॉय, एस. (2021). महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एवं घरेलू हिंसा का संबंध। World Development, 146, 105600.
3. भारत सरकार. (2005). *घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम*, 2005. नई दिल्ली: भारत का राजपत्र।
4. भारत सरकार. (2012). *यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (*POCSO), 2012. नई दिल्ली: भारत का राजपत्र।
5. भारत सरकार. (2013). *कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम*, 2013. नई दिल्ली: भारत का राजपत्र।
6. चटर्जी, पी., देसाई, एस., एवं वन्नेमन, आर. (2023). भारत में लैंगिक असमानता एवं घरेलू हिंसा का विश्लेषण। Demography India, 52(1), 45–62.
7. चौधरी, एस. (2024). *न्याय तक महिलाओं की पहुँच: चुनौतियाँ और समाधान.* नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स इंडिया।

8. देसाई, एस., एवं एंड्रिस्ट, एल. (2021). भारत में लैंगिक मान्यताएँ एवं घरेलू हिंसा। Population Studies, 75(3), 387–402.
9. हाइज़, एल., एवं कोट्साडम, ए. (2019). लैंगिक असमानता एवं हिंसा का अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण। Social Science & Medicine, 234, 112360.
10. जेजीभॉय, एस. जे., संथ्या, के. जी., एवं आचार्य, आर. (2019). ग्रामीण भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। Economic and Political Weekly, 54(17), 45–53.
11. कबीर, एन. (2019). महिलाओं का सशक्तिकरण एवं हिंसा के बीच संबंध। Feminist Economics, 25(2), 1–23.
12. कपूर, एस. (2022). आर्थिक निर्भरता एवं घरेलू हिंसा का विश्लेषण। Indian Journal of Social Work, 83(2), 233–250.
13. मेहता, एस. (2020). *लैंगिक न्याय और महिला अधिकार: एक विधिक अध्ययन*. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स।
14. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2024). *मिशन शक्ति: महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण रिपोर्ट*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
15. मिश्रा, डी. (2024). *लैंगिक हिंसा और संस्थागत उत्तरदायित्व*. इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स।
16. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. (2023). *भारत में अपराध* 2022. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
17. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. (2024). *भारत में अपराध* 2023. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
18. राष्ट्रीय महिला आयोग. (2024). *महिला अधिकार एवं सुरक्षा पर वार्षिक प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग।

19. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण. (2023). *महिलाओं हेतु निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम रिपोर्ट.* नई दिल्ली: NALSA.
20. संयुक्त राष्ट्र महिला. (2022). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: वैश्विक रिपोर्ट.* न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
21. संयुक्त राष्ट्र महिला. (2023). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वैश्विक डेटाबेस.* न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
22. संयुक्त राष्ट्र महिला. (2024). *सतत विकास लक्ष्य एवं लैंगिक समानता रिपोर्ट.* न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र।
23. वर्मा, के. (2022). *भारत में महिला सुरक्षा कानूनों का विश्लेषण.* लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी।
24. विश्व स्वास्थ्य संगठन. (2023). *महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के वैश्विक अनुमान.* जिनेवा: WHO.
25. व्यास, एस., एवं वाट्स, सी. (2021). सामुदायिक मान्यताएँ एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। Journal of Global Health, 11, 04042.